प्रेस प्रकाशनी *

अप्रैल 2012

दि खेरलू नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

2 अप्रैल 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि खेरलू नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा (गुजरात) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालनात्मक अनुदेशों तथा एकल/समूह उधारकर्ता मानदंड़ों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा प्रस्तुत व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश - दि भुज मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात)

3 अप्रैल 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत दि भुज मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) को कतिपय निर्देश जारी किए हैं जिसके द्वारा 02 अप्रैल 2012 को कारोबार की समाप्ति से उपर्युक्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्वानुमति के बिना, किसी ऋण और अग्रिम की संस्वीकृति अथवा नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियों के उधार और नई जमाराशियों के स्वीकरण सहित कोई देयता नहीं लेगा, अपनी देयताओं अथवा किसी अन्य प्रकार के निपटान के लिए संवितरण नहीं करेगा अथवा किसी भुगतान के संवितरण के लिए सहमत नहीं होगा, कोई समझौता अथवा करार और बिक्री नहीं करेगा, अंतरण अथवा अन्य प्रकार से उस सीमा तक और दिनांक 02 अप्रैल 2012 के भारतीय रिज़र्व बैंक निर्देश में यथा अधिसूचित तरीके को छोड़कर जिसकी एक प्रति इच्छुक आम जनता के अवलोकन हेतु प्रदर्शित की गई है,अपनी किसी संपत्ति अथवा आस्ति का निपटान नहीं करेगा। तथापि, बैंक को अनुमति दी गई है कि वह प्रत्येक बचत अथवा चालू खाता अथवा किसी अन्य जमा खाता चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो में कुल शेष के अधिकतम ₹10,000/- तक की राशि के आहरण की अनुमति प्रदान करे।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निर्देशों को जारी करने को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस का स्वत: निरसन नहीं माना जाए। यह बैंक प्रतिबंधों के साथ तब तक बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा जब तक इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होता है। ये निर्देश 02 अप्रैल 2012 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि तक लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन होंगे।

रिज़र्व बैंक ने श्री भद्रन मर्कन्टाइल को- आपरेटिव बैंक लि., भद्रन (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया

9 अप्रैल 2012

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री भद्रन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., भद्रन (गुजरात) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवन करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च 2011 को बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का 21 मार्च 2012 का अपना आदेश ज़ारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता

* अप्रैल 2012 की महत्त्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनियां

है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता, सामान्य नियम और शर्तो के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 दिसंबर 1986 को बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया था। बैंक की अनिश्चित वित्तीय स्थिति को देखते हुए, अधिमान भुगतान रोकने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36 (1) के तहत 31 अक्तूबर 2006 को कारोबार समाप्ति से बैंक को परिचालनगत निर्देशाधीन रखा गया और जमाकर्ताओं पर 1000/ 'प्रति जमाकर्ता आहरण की सीमा लगायी गयी थी। अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत 31 मार्च 2010 की वित्तीय स्थिति के अनुसार किए गए सांविधिक निरीक्षण से बैंक की नाजुक वित्तीय स्थिति तथा अन्य उल्लंघनों का पता चला। बैंक की मूल्यांकित निवल संपत्ति ₹10.72 लाख थी और सीआरएआर 29.6% था। सकल एनपीए सकल अग्रिम के 81.3% था। बैंक की मूल्यांकित निवल हानि ₹ 263.73 लाख थी। 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 के अंतर्गत किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि मूल्यांकित निवल संपत्ति (-) ₹ 272.67 लाख थी, सीआरएआर (-) 413.5% था, सकल एनपीए सकल अग्रिम के 78.2% था तथा जमाराशि की 55.0% हानी हुई थी। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति अनिश्चित हो जाने तथा उसमें और अधिक ह्रास होने के कारण अधिनियम की धारा 35 क(1) के अंतर्गत, 26 अगस्त 2011 को कारोबार समाप्ति के बाद, बैंक को निदेशाधीन रखा गया था, जिसे समीक्षा के अधीन 26 फरवरी 2012 को कारोबार समाप्ति से छह महिनों के लिए बढाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत बैंक को 22 दिसंबर 2011 के पत्र के माध्यम से कारण बताओ नोटिस ज़ारी किया। कारण बताओ नोटिस पर बैंक ने 16 जनवरी 2012 के अपने उत्तर में अनियमितताएं/ टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा कारण बताओ सूचना में दी गयी कमियों पर कोई मत व्यक्त नहीं किया। बैंक ने पुनरुज्जीवन/नवीनीकरण की कोई जीवनक्षम योजना प्रस्तुत नहीं की या किसी अन्य मज़बूत शहरी सहकारी बैंक के साथ विलय का प्रस्ताव नहीं दिया। विलयन के प्रस्ताव के अभाव में तथा बैंक की अनिश्चित वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंक के पुनरुज्जीवन की कोई आशा नहीं है तथा बैंक को जारी रखने से जमाराशि का और अधिक ह्रास ही होगा जो जनहित में नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि:

- अधिनियम की धारा 11(1), 22(3)(ए) तथा 22(3)(बी) के प्रावधानों का बैंक अनुपालन नहीं कर रहा है।
- बैंक अपने विद्यमान तथा भावी जमाकर्ताओं को भुगतान करने में असमर्थ है।
- बैंक का कारोबार जमाकर्ताओं के हित के विपरित किया जा रहा है।
- बैंक की वित्तीय स्थिति के कारण पुनरुज्जीवन की संभावना नहीं है।
- सभी संभावनाओं में यदि बैंक को कारोबार करने की अनुमति दी जाती तो इसका जनहित पर विपरित प्रभाव होगा।

अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से श्री भद्रन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., भद्रन (गुजरात) के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप श्री भद्रन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., भद्रन (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियाँ स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती एम.के.शुभश्री, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग,अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, टेलीफोन नंबर:(079) 2658 9338 फैक्स नंबर : (079)2658 4853।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों के लिए वेब-आधारित ऑन-लाइन नीलामियों का कार्यान्वयन

11 अप्रैल 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2012 से ही सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की प्राथमिक नीलामियों में ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल ग्राहक)/ गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) के ग्राहकों द्वारा ऑन-लाइन नीलामी को सुविधा प्रदान करने के लिए वेब-आधारित एनडीएस नीलामी मॉडयूल की एक अतिरिक्त सुविधा लागू की है।

इस मॉड़यूल की व्याख्या करते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा है कि यह मॉडयूल सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों में गिल्ट खाताधारकों की इंटरनेट आधारित सीधी सहभागिता की अनुमति देता है। तथापि यह पहुँच संबंधित प्राथमिक सदस्यों (पीएम) द्वारा नियंत्रण के अधीन है क्योंकि जैसाकि वर्तमान में होता है प्राथमिक सदस्य अपने गिल्ट खाताधारकों के संबंध में सीएसजीएल नीलामियों/कारोबार के निपटान के लिए उत्तरदायी रहेंगे।

रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वेब-आधारित नीलामी मॉडयूल एक अतिरिक्त सुविधा है तथा वर्तमान सीएसजीएल खाताधारकों/ प्राथमिक सदस्यों से संबंधित सभी नियंत्रक और ग्राहक नीलामी प्रणाली बनी रहेगी, तथा आगे बताया है कि वेब-आधारित एनडीएस नीलामी अनुप्रयोग भी विद्यमान नियमावली, विनियमावली, अधिसूचनाओं और/अथवा इसके द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों के द्वारा नियंत्रित होगी। गिल्ट खाताधारक अथवा इसके प्राथमिक सदस्य द्वारा इस अनुप्रयोग पर की गई किसी कार्रवाई के लिए किसी गिल्ट खाताधारक और इसके प्राथमिक सदस्य के बीच किसी विवाद में रिज़र्व बैंक की कोई भूमिका भी नहीं होगी।

वेब-आधारित एनडीएस नीलामी सुविधा पर और अधिक जानकारी तथा परिचालनात्मक दिशानिर्देश सीसीआइएल वेबसाइट (www.ccilindia.com)पर उपलब्ध हैं। बाजार सहभागी इस अनुप्रयोग पर किसी अन्य जानकारी के संबंध में एनडीएस नीलामी हेल्पडेस्क से 022-66639399 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा मेल भेज सकते हैं।

श्री विनायक सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

11 अप्रैल 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) बी के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद पर परिचालन संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / निर्देशों का उल्लंघन करने,बैंकिंग लेनदेनों के रिकार्डों को नष्ट करने, निरीक्षण अधिकारी के समक्ष खाता- बही प्रस्तुत न करने, तथा एसटीआर फाइल न करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया और इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा प्रस्तुत व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया ।

बैंक दर

18 अप्रैल 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2012 से बैंक दर 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष में कमी करते हुए इसे 9.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है।

दि उधना सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात)

26 अप्रैल 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उधना सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत, (गुजरात) को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में 2 नवंबर 2010 को कारोबार की समाप्ति से एक निर्देश जारी किया था जिसके अनुसार, उपर्युक्त बैंक लिखित रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व

अनुमोदन लिए बिना किसी ऋण और अग्रिम की स्वीकृति अथवा नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियों के उधार और नई जमाराशियों की स्वीकृति सहित कोई देयता नहीं लेगा, किसी भुगतान को संवितरित नहीं करेगा अथवा संवितरण के लिए सहमत नहीं होगा चाहे वह कार्य उसकी देयताओं और दायित्वों अथवा अन्य प्रकार से संबंधित हो, कोई समझौता अथवा व्यवस्था नहीं करेगा अथवा 26 अक्तूबर 2010 की भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशावली जिसकी एक प्रति इच्छुक आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथा अधिसूचित के अलावा अपनी किसी संपत्ति अथवा परिसंपत्ति की बिक्री, अंतरण अथवा अन्य कोई निपटान नहीं करेगा। विशेषत: प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाता अथवा अन्य किसी जमा खाते के कुल शेष की ₹1000 (एक हजार रुपए मात्र) तक की राशि उपर्युक्त भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशावली में व्यक्त शर्तों के अधीन आहरित करने की अनुमति दी जा सकती है।

इस निर्देश की अवधि अंतिम बार दिनांक 14 अक्तूबर 2011 के संशोधित निर्देश सं. यूबीडी. सीओ. बीएसडी II/डी-59/12.21.354/2010-11 के अनुसार 2 मई 2012 तक बढ़ाई गई थी।

बैंक पर लागू निर्देश की अवधि उसके बाद बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20 अप्रैल 2012 के संशोधित निर्देश सं. यूबीडी. सीओ. बीएसडी II/डी-81/12.21.354/2011-12 के अनुसार समीक्षा के अधीन पुन: 1 नवंबर 2012 तक बढ़ाई गई है।

इच्छुक आम जनता की कार्रवाई के लिए विस्तृत संशोधित निर्देश बैंक परिसर में प्रदर्शित है।